झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
इटकी रोड, हेहल, राँची –5

14

कार्यालय आदेश संख्या....129..../
राँची, दिनांक 5/4/2013

निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 13.03.2013 के कार्यावली संख्या– 2 के माध्यम लिए गए निर्णय के आलोक में समिति स्तर पर चयनित नई योजनाओं के लिए 5.00 लाख (पाँच लाख) रू0 तक की प्राक्कलित राशि एवं मरम्मति संबंधी योजनाओं के लिए 1.00 लाख (एक लाख) रू0 तक की प्रावक्लित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति बाजार समिति को प्रदान की जाती है।

इस निमित एक वित्तीय वर्ष में समिति स्तर से अपनी कुल आय का 10% तक की राशि की योजना स्वीकृत की जाएगी।

आय का आधार गत वर्ष की उपलब्धि मान्य होगी।

4/4/2013

प्रबन्ध निदेशक
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद
राँची।

ज्ञापांक ......823...../राँची दिनांक 5/4/2013

प्रतिलिपिः–

1. पणन सचिव/अध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति (सभी) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक अभियंता, कार्यप्रमंडल राँची/धनबाद/उप निदेशक,योजना एवं शोध/नियंत्रक पर्षद (मु0) राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद/उप निदेशक,योजना एवं शोध को सूचनार्थ प्रेषित।

04.04.13

सहायक | उप निदेशक योजना एवं शोध | सचिव | 4/4/2013 प्रबन्ध निदेशक झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद राँची।

13

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,

इटकी रोड, हेहल, राँची- 05

कार्यालय आदेश संख्या- 220 /
राँची, दिनांक :- 01/03/2019

संचिका संख्या- 04/वि०यो०शो०-08/2019

पर्षदीय कार्यालय आदेश संख्या- 39 दिनांक- 25.01.2019 के द्वारा झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद अन्तर्गत योजना सम्बन्धी कार्यो के त्वरित निष्पादन हेतु पर्षदीय कार्यालय आदेश संख्या- 273 दिनांक- 11.07.2013 में आंशिक संशोधन करते हुए निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियन्ता, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा 25.00 (पच्चीस) लाख तक एवं अधीक्षण अभियन्ता, झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद द्वारा 100.00 (एक सौ) लाख रु0 तक के निविदा से सम्बन्धित सभी कार्यो का निष्पादन अपने स्तर से करेंगे, जिसकी दिनांक- 28.02.2019 को आयोजित झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यावली संख्या- 9 में लिये गये निर्णय के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।

01/03/2019
प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

ज्ञापांक :- 777 /राँची दिनांक :- 01/03/2019

प्रतिलिपि :- पर्षद (मु०) के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/2019
प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

12

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,

इटकी रोड, हेहल, राँची- 05

कार्यालय आदेश संख्या– 219 /

राँची, दिनांक :– 01/03/2019

संचिका संख्या– 04/वि०यो०शो०–06/2019

पर्षदीय पत्रांक– 1278 दिनांक– 19.05.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक– 08.01.2019 को फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ हुए बैठक में बाजार समितियों में आवश्यकता आधारित योजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में चेम्बर के सदस्यों के साथ हुए विमर्श के आलोक में कृषि उत्पादन बाजार समिति, राँची, जमशेदपुर एवं धनबाद में आवश्यकता आधारित योजनाओं की नियमानुसार कार्यान्वयन करने की स्वीकृति दी गयी है, जिसका दिनांक– 28.02.2019 को आयोजित झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यावली संख्या– 8 में लिये गये निर्णय के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है।.

01/03/2019

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

ज्ञापांक :– 776 /राँची

दिनांक :– 01/03/2019

प्रतिलिपि :– पर्षद (मु०) के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

01/03/2019

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

(3)

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
इटकी रोड, हेहल, राँची –5

पत्रांक– 1278 राँची, दिनाँक– 19/5/2015

प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
कार्यप्रमंडल रांची/हजारीबाग (मु0) धनबाद/
कोल्हान (मु0) जमशेदपुर।

विषयः– झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद अन्तर्गत विभिन्न बाजार समितियों में समिति निधि से कराये जाने वाले योजनाओं का कार्यान्वयन के संबंध में।

प्रसंगः– सरकार के सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का आदेश ज्ञापांक 1573 दिनांक 27.04.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक आदेश (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा झारखण्ड कृषि उपज बाजार अधिनियम 2011 के अनुसूची में उल्लेखित सभी पदार्थो पर देय शुल्क वसूली पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप समिति की आय अवरूद्ध हो गयी है। चुंकि प्रत्येक बाजार समिति की संचित निधि से ही वेतन, दायित्व आदि का भुगतान किया जाना है, बदले हुए परिस्थिति में नई विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कठिनाई है। सभी बाजार समितियों के आय, संचित निधि, एवं दायित्व की समीक्षा पर्षद स्तर से की जा रही है।

अतः उक्त परिस्थिति में तत्काल प्रभाव से बाजार समिति निधि से कार्यान्वित होने वाले नये विकास कार्य का निविदा नहीं कराया जाए एवं जो निविदा हो चुकी है, उसका कार्यान्वयन स्थगित रखा जाए तथा नए निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाए।

विश्वासभाजन

ह0/- 13/5/15

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

ज्ञापांक 1278 /रांची दिनांक 19/5/2015

प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 13/5/15 ह0/- 13/5/15 ह0/- 13/5/15

सहायक नि0यो0शो0 उप निदेशक, योजना एवं शोध प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
राँची।

8/c

66
Fax No.- 0651-2511603
Email ID- isambranchi@yahoo.co.in

कार्यालय आदेश संख्या— 216 /
रांची दिनांक:— 2/5 /2008

पर्षद के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 17.4.08 के कार्यावली संख्या– 09 में लिये गये निर्णय के आलोक में 5.00 लाख के उपर की योजनाओं को निविदा द्वारा तथा 5.00 लाख के नीचे की योजना को (बाजार प्रांगण को छोड़कर) चयनित समूह से करायी जाएगी । चयनित समूह में विवाद होने की स्थिति में संबंधित बाजार समिति विभागीय/निविदा से कार्य कराने हेतु संकल्प पारित कर इसका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक के स्तर से प्राप्त करेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा रांची

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
टर्मिनल माकेट यार्ड पण्डरा रांची

ज्ञापांक:— 536 /रांची दिनांक:— 2/5 /08

प्रतिलिपि:—सभी पदाधिकारियों , पर्षद मुख्यालय / कार्यपालक अभियंता , कार्यप्रमंडल रॉंची /धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पणन सचिव , कृषि उत्पादन बाजार समिति (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा रांची

प्रेम/

कार्यालय आदेश संख्या 203 /
रांची दिनांकः 28.4 / 2008

पर्षद के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 17.4.08 के कार्यावली संख्या– 10 में लिये गये निर्णय के आलोक में नगर निगम क्षेत्र एवं नोटिफाईड क्षेत्रों में पड़ने वाले पी०सी०सी० पथ एवं नाली का निर्माण (बाजार प्रांगण को छोड़कर) बाजार समितियों के द्वारा नहीं करायी जाएगी ।

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा रांची

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद

टर्मिनल मार्केट यार्ड पण्डरा रांची

ज्ञापांकः 498 रांची दिनांकः 28.4. / 08

प्रतिलिपिः–सभी पदाधिकारियों , पर्षद मुख्यालय / कार्यपालक अभियंता , कार्यप्रमंडल रॉची /धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. पणन सचिव , कृषि उत्पादन बाजार समिति (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. विकास शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा रांची

प्रेम /

M.U.F.

कार्यालय आदेश संख्या 264 /

राँची, दिनांक 19.6.07 /

पर्षदीय आदेश संख्या - 259 एवं ज्ञापांक 840 दिनांक 16/6/07 में विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं । पर्षद् में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले योजना के प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में चेकलिस्ट भेजना सुनिश्चित करें :-

1) योजना का नाम

2) योजना का प्राक्कलित राशि

3) क्या बाजार समिति से संकल्प पारित है ?

तिथि -

संख्या -

4) क्या योजना को विस्तृत सर्वेक्षण किया गया तथा कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोगी है ?

5) योजना के विस्तृत प्राक्कलन पर सक्षम तकनिकी पदाधिकारी का स्वीकृति है ?

(क) कब दी गयी

(ख) कितनी राशि के लिए दी गयी

(ग) स्वीकृत प्राक्कलन में दी गयी दरों का आधार वर्ष क्या था ?

6) योजना/कार्य के लिए निधि उपलब्ध है ?

(क) समिति के पास उपलब्ध निधि

(ख) समिति का दायित्व

(ग) समिति का शुध्द बचत की राशि

7) क्या योजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त की गयी है ? यदि प्राप्त की गयी है तो उसका पत्रांक एवं दिनांक ।

8) क्या लिया गया योजना कृषकों के हित में एवं विपणन के हित में है ?

9) योजना के कार्यान्वियन के संबंध में पणन सचिव का स्पष्ट मंतव्य :-

प्रबन्ध निदेशक ।

19.6

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद्,
टर्मिनल मार्केट यार्ड, पंडरा, राँची-5

= = = = = = = = = = = =

ज्ञापांक - 848 / राँची, दिनांक - 19.6. /2007

प्रतिलिपि,

पणन सचिव (सभी) कृषि उत्पादन बाजार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रबन्ध निदेशक ।

16/6/07

झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद

टर्मिनल मार्केट यार्ड, पण्डरा रांची

पत्रांक 485 / रांची दिनांक 07/04/2010

प्रेषक,

प्रबन्ध निदेशक,
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
पण्डरा रांची ।

सेवा में,

पणन सचिव,
कृषि उत्पादन बाजार समिति,
बेरमों ।

विषयः— हाट / बाजार में विकास कार्य योजनाओं के चयन के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक आप के पत्रांक 16 दिनांक 6.1.2010 से विकास कार्यो के चयन एवं कार्यान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की है । इस संबंध में पर्षद स्तर से स्पष्ट निर्देश दिया जा चुके है , उसका अनुपालन करते हुए योजना का चयन करना सुनिश्चित करें । मुख्यालय में केवल प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव पूर्णरूप से बना कर भेजना सुनिश्चित करेंगे । प्रस्ताव भेजते समय निम्नलिखित कागजात संलग्न कर भेजना सुनिश्चित करें ।

1. समिति का प्रस्ताव की सच्ची प्रतिलिपि जो कि अनुमंडल पदाधिकारी / पणन सचिव द्वारा अभिप्रमाणित हो ।
2. पर्षदीय पत्रांक 638 दिनांक 29.4.09 के अनुपालन में योजना का चयन करें ।
3. चेकस्लिप पूर्णतः भरा हुआ
4. लिये गये योजना का कार्यपालक तकनिकी स्वीकृति के साथ प्राक्कलन।
5. पत्र में जिन हाटों / बाजारें का जिक्र है उनसे कितनी राजस्व की प्राप्ति होती है ।
6. यदि उक्त हाटों से राजस्व की प्राप्ति होती हेा और वह हाट सरकारी जमीन पर हो तो NOC प्राप्त कर शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की जा सकती है ।

भविष्य में उपर्युक्त सभी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए योजना का प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन

7.4.10

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
पण्डरा रांची

7/4/10

O/C

कार्यालय आदेश संख्या ....16..... /
रॉची दिनांक ..19/01../2010

दिनांक 29.10.09 एवं 30.10.09 को निदेशानुसार उप निदेशक योजना एवं शोध, झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद रांची द्वारा चाईबासा बाजार समिति एवं खूँटी बाजार समिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाये गये त्रुटियों के आधार पर योजना कार्यान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत आदेश संख्या 265 एवं ज्ञापांक 849 दिनांक 19.6.07 को विलोपित करते हुए निम्नांकित दिशा निर्देश दिया जाता है, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

1. कृषि उपज बाजार समितियाँ योजनाओं को समिति से पारित कराने के पूर्व इस बात का ख्याल रखेगे कि येाजना छोटे–छोटे किसानों के लिए विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने से संबंधित हो । योजना शुल्कसंग्रह में अभिवृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया जाय एवं निश्चित रूप से येाजना समिति एवं किसानों के हित में होना चाहिए । पणन सचिव जिस येाजना का चुनाव कर समिति में प्रस्ताव करेगे, प्रस्ताव में यह स्पष्ट लिखेगे कि लिया गया येाजना कृषकों के हित में है एवं विपणन को सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से है।
2. पर्षद के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 10.2.2009 के कार्यावली संख्या 4 (पर्षदीय पत्रांक 638 दिनांक 29.4.09 दृष्टव्य) में लिये गये निर्णय के आलोक में सूचित करना है कि विकास योजना में हाट/बाजार/बाजार प्रांगण आदि जिसके कसटोडियन (Custodian) बाजार समिति हों वैसी ही येाजना का चयन करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य येाजना का प्रस्ताव समिति द्वारा भेजी जाती है तो इसकी जबाबदेही पणन सचिव/प्रभारी पणन सचिव की स्वयं ही होगी ।
3. पर्षद के निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 17.4.08 के कार्यावली संख्या 09 (पर्षदीय कार्यालय आदेश संख्या 24 एवं ज्ञापांक 536 दिनांक 2.5.08 दृष्टव्य)में लिये गये निर्णय के आलोक में 5.00 लाख के उपर की योजनाओं को निविदा द्वारा तथा 5.00 लाख के नीचे की येाजना को (बाजार प्रांगण को छोड़कर) चयनित समूह से करायी जायगी । चयनित समूह में विवाद होने की स्थिति में संबंधित बाजार समिति विभागीय / निविदा से कार्य कराने हेतु संकल्प पारित कर इसकी अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक के स्तर से प्राप्त करेंगे।
4. पणन सचिव / प्रभारी पणन सचिव किसी योजना के प्रस्ताव पर्षद को उपलब्ध कराने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्ताव के साथ पारित संकल्प, तकनीकि स्वीकृति एवं चेक स्लिप संलग्न हो । यह उनकी स्वयं की जबावदेही होगी ।
5. पर्षद स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति दिये जाने के पश्चात किसी प्रकार का संशोधन यथा योजना में कटौती राशि में परिवर्त्तन करने का अधिकार किसी पदाधिकारी कों नहीं होगा । यदि संशोधन आवश्यक हो तो समिति प्रस्ताव पारित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेगी ।
6. येाजनाओं को समय–सीमा के अन्दर सम्पन्न कराने को पूर्णतः जबावदेही तकनीकी पदाधिकारी / समिति को संयुक्त रूप से होगी । कार्यस्थल पर बोर्ड लगाना आवश्यक होगा जो पठनीय होने के साथ–साथ स्पष्ट दिखे । उक्त बोर्ड में योजना को पूर्ण करने की अवधि सहित प्राक्कलित राशि अभिकर्ता का नाम एवं समिति का नाम के अलावे येाजना को पूर्ण विवरणी अंकित होगा । बोर्ड कार्य योजना स्थल के अतिरिक्त उस येाजना के मुख्य सड़क (एन0एच) पर भी लगेगा एवं तीर का निशान लगाते हुए दुरी दर्शाया जायगा ।
7. कार्य स्थल पर दैनिक सामग्री रजिस्टर रहना आवश्यक है जिसमें जो भी सामग्री कार्य स्थल पर गिराया जायगा उन्हें उसमें अंकित करना होगा एवं उसी रजिस्टर के आधे भाग में निरीक्षण टिप्पणी के लिए भी जगह रखी जायगी जिसमें जो भी पदाधिकारी स्थल का निरीक्षण करेगें वे अपना नाम/पदनाम एवं निरीक्षण टिप्पणी तिथि के साथ अंकित करेंगे ।
8. कार्य को प्रगति एवं गुणवत्ता का निरीक्षण तकनिकी पदाधिकारी के अलावे संबंधित पणन सचिव, समिति के अध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी कम से कम दो बार निश्चित रूप से करेंगे एवं कार्य स्थल पर उपलब्ध पंजी में इसे अंकित करेंगे ।

9. प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समिति द्वारा पर्षद में भेजे जानेवाले प्रस्ताव के साथ कार्य स्थल का फोटोग्राफ लगाना आवश्यक होगा । पुनः कार्य प्रारम्भ होने पर कार्य के बीच में एवं अन्त में तीन तरफ से खीचा गया फोटोग्राफ अभिलेख में निश्चित रूप से संलग्न किया जायगा ।

10. समिति द्वारा तकनिकी पदाधिकारी को एकमुस्त राशि नहीं देकर कम से कम दो किस्तों में योजना की राशि उपलब्ध करायी जायगी एवं द्वितीय किस्त की राशि तभी निर्गत होगी जबतक प्रथम किस्त की राशि का 60 प्रतिशत व्यय नहीं हो जाय एवं किये गये कार्य का फोटोग्राफ एवं एम0बी0 (मापी पुस्तिका) की छायाप्रति तकनिकी पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायगा जो अभिलेख में संलग्न रहेगा ।

11. कच्चे कार्यो में सेकशन मापी के आधार पर ही भुगतान किया जायेगा ।

12. योजनावार मापीपुस्त/बिल पर लीड सत्यापित करते हुए सहायक अभियंता द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायगा जिसके अनुरूप ढलाई मद का व्यय देय होगा ।

13. प्रत्येक योजना के लिए मास्टररोल का संधारण अलग अलग किया जायगा जिसमें मजदूरी भुगतान का पूर्ण व्योरा अंकित होगा ।

14. कार्य येाजना के लिए सामग्रियों का क्रय उसके गुणवत्ता के दृष्टिकोण में रखते हुए प्रसंगाधीन नियम (पी0डब्लू0डी0) के प्रावधान के अधीन ही किया जायेगा ।

15. येाजना में व्यवहृत सामग्रियों के मूल्य पर देय रायल्टी की कटौती विपत्र से की जायगी । काटी गयी राशि संबंधित कोषागार में जमा कर चालान अभिलेख मे संलग्न करें ।

16. येाजना पूर्ण होने के एक माह के अंतर्गत तकनिकी पदाधिकारी योजना का हस्तान्तरण सुनिश्चित करेगे एवं हस्तान्तरण के पूर्व संबंधित समिति कार्य की गुणवत्ता कार्य को पूर्णता पर संतुष्ट होने के पश्चात ही स्वीकार करेगें ।

17. कार्य योजना के फिनिशिंग पर विशेष रूप से तकनिकी पदाधिकारी पूरा–पूरा ध्यान देगे ।

18. काम समाप्ति के पश्चात कार्य की गुणवत्ता की जांच बी0आई0टी0 मेसरा / संबंधित जिला अभियंता से कराना सुनिश्चत करने की बाद ही अंतिम भुगतान करना सुनिश्चित करेगें एवं संबंधित पणन सचिव को हस्तानान्तरण करेगें ।

19. सभी कृषि उत्पादन बाजार समिति अपने क्षेत्रान्तर्गत चयनित योजनाओं की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधि , माननीय सांसद , माननीय विधान सभा सदस्य एवं माननीय राज्य सभा सदस्य को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेगें ।

उपर्युक्त सभी निदेशों का पर्षद स्तर पर पूर्व में इस विषय पर दिये गये निदेशों के अलावे इसका भी सम्यक् रूप से सभी कृषि उपज बाजार समितियां एवं अभियंत्रण कोषांग अपनी जिम्मेवारी समझतें हुए अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

19.1.10

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा, रांची
दिनांक 19/01/2010

ज्ञापांक 85 / रांची

प्रतिलिपिः– पर्षद मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष/विशेष पदाधिकारी , कृषि उत्पादन बाजार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3. पणन सचिव (सभी) कृषि उत्पादन बाजार समिति / अधीक्षण अभियंता पर्षद मुख्यालय / कार्यपालक अभियंता , रांची एवं धनबाद प्रमंडल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

19.1.10.

प्रबन्ध निदेशक
झारखंड राज्य कृषि विपणन पर्षद
पण्डरा रांची

प्रेम/–

कार्यालय आदेश संख्या 210 /
रांची दिनांक:- 24/11/2005

विकास कार्यों के कार्यान्वयन के संबंध में पर्षदीय पत्रांक 1067 दिनांक 5.10.2005 द्वारा निदेश दिया गया था । इस संबंध में योजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत है :-

1. प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जो भी योजनाएँ बाजार समिति के संकल्प से पारित होती है, उसके साथ एक चेकलिस्ट तथा तकनिकी स्वीकृति के साथ प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पर्षद मुख्यालय में समर्पित करेगें । प्रशासनिक स्वीकृति में यह स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि कार्यान्वयन की प्रक्रिया क्या होगी । चेकलिस्ट का प्रपत्र निम्नवत होगा :-

(क) योजना का नाम
(ख) योजना का प्राक्कलित राशि
(ग) क्या बाजार समिति से संकल्प पारित है ।
तिथि –
संख्या–
(घ) क्या योजना की विस्तृत सर्वेक्षण किया गया तथा कृषि उपज के विपणन के लिए उपयोगी है ?
(ङ0) योजना के विस्तृत प्राक्कलन पर समक्ष तकनीकी पदाधिकारी का स्वीकृति है ?
1. कब दी गई
2. कितनी राशि के लिए दी गई
3. स्वीकृत प्राक्कलन में दी गई दरों का आधार वर्ष क्या था ?
(च) योजना कार्य के लिए निधि उपलब्ध है ?
समिति के पास उपलब्ध निधि
समिति का दायित्व
समिति का शुद्ध बचत की राशि
योजना के कार्यान्वयन के संबंध में पणन सचिव का स्पष्ट मंतव्य :-

योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा द्वारा किया जाना है, उसमें सक्षम तकनिकी पदाधिकारी अपने स्तर से संबंधित बाजार समिति से निविदा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त करेगें । सभी कार्यों में व्यक्तिगत निविदा स्वीकृत करने की शक्ति निम्न प्रकार होगी :-

कार्यपालक अभियंता – (10.00 लाख) (1 लाख से उपर की योजनाओं का अनुसूचित दर पर तथा भुगतान के पूर्व एकरारनामा को प्रतिहस्ताक्षरित कराना आवश्यक होगा ।

अधीक्षण अभियंता – (50.00 लाख)
मुख्य अभियंता – (एक करोड़)
1,00,00,000.00 (एक करोड़) से अधिक की निविदा पर्षदीय स्तर पर गठित निविदा समिति के अनुशंसा पर स्वीकृत की जायेगी तथा नियमों का दृढ़ता से पालन करते

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
टर्मिनल मार्केट यार्ड,पण्डरा,राँची-5

616 / राँची, दिनांक :- 17-4-/2003.

राजबाला वर्मा (भा.प्र.से.)
प्रबंध निदेशक,
झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,
पण्डरा,राँची ।

सेवा में,

सभी पणन सचिव
कृषि उत्पादन बाजार समिति,

विषय :- बाजार समितियों के क्षेत्रान्तर्गत शौचालय ईकाईयों के निर्माण एवं रख रखाव कार्य के संबंध में ।

महाशय,

दिनांक 6.3.2003 को निदेशक मंडल की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निविदा में निर्धारित शर्तों के अनुसार इनर्जी इन्टरनेशनल जन सुविधा संस्थान कचहरी परिसर,राँची को उपयुक्त पाया गया एवं निर्णय लिया गया कि संबंधित पणन सचिव जिन्हें शौचालय ईकाईयों के निर्माण कराने की आवश्यकता होगी इनर्जी इन्टरनेशनल से कार्य करायेगी । बाजार समिति उक्त संस्थान द्वारा समर्पित किये गये प्राक्कलन के अनुसार निर्माण कार्य पर होनेवाले व्यय भार वहन करने संबंधित संकल्प पारित कर संकल्प की प्रति एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं के साथ प्राक्कलन की तीन प्रतियाँ पर्षद मुख्यालय में तकनिकी स्वीकृति के पश्चात प्रशासनिक स्वीकृति हेतु समर्पित करेगा । प्रशासनिक एवं तकनिकी स्वीकृति के उपरान्त निम्नांकित शर्तों के अनुसार संस्थान द्वारा निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

(1) कार्य संबंधित प्रमंडल झारखण्ड सरकार के द्वारा प्रकाशित अनुसूचित दर से 5 % कम दर पर कराया जायेगा ।

(2) नवनिर्मित शौचालय ईकाईयों का रख रखाव संस्था द्वारा एक वर्ष तक की जायेगी। रख-रखाव के लिए स्थानीय लोगों एवं कमजोर वर्ग को प्राथमिकता दी जाय। नियुक्त कर्मचारियों की सूची पर्षद मुख्यालय में उपलब्ध करायी जाय ।

(3) शौचालय के उपयोग कर्ताओं को संस्था द्वारा स्वच्छ शौचालय,हाथ धोने का पाउडर, ऐनक-कंघी एवं तौलिया उपलब्ध कराया जायेगा ।

(4) शौचालय के रख रखाव हेतु एकरारनामा होने के पश्चात 10 सीट के शौचालय ईकाईयों के लिए 500/ रू0 (पाँच सौ रू0) एवं 5 सीट शौचालय ईकाईयों के लिए 300/- रू0 (तीन सौ रू0) सालाना रेन्ट के रूप में बाजार समिति को एजेन्सी द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

(5) शौचालय ईकाईयों का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार के विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा जिसका प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने के बाद संस्था को देना होगा ।

(कृ0 पृ0 उ0)

16.4.2003

(6) अभियंत्रण कोषांग के अभियंताओं के देख रेख में कार्य सम्पन्न होगा तथा उनके द्वारा कार्य की ली गयी विस्तृत मापी के आधार पर भुगतान किया जायेगा ।

(7) निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत किये गये राशि के लिए संस्था एवं प्रधान सचिव के बीच एकरारनामा किया जायेगा ।

(8) बाजार समिति द्वारा संस्था को भुगतान करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी :-

(क) स्वीकृति राशि का 50 % अग्रिम राशि संस्था को भुगतान करने के पश्चात संस्था द्वारा कार्य कराया जायेगा ।

(ख) कार्य संतोषप्रद ढंग से सम्पन्न किये जाने के बाद अभियंत्रण कोषांग के अभियंताओं द्वारा अंतिम मापी विपत्र का अग्रसारण के पश्चात अंतिम विपत्र का भुगतान किया जायेगा ।

(9) 10 सीट का शौचालय ईकाई का कार्य तीन माह में एवं 5 ईकाई का कार्य दो माह में पूर्ण किया जायेगा ।

(10) शौचालय के उपयोगकर्ताओं से सेवा शुल्क के रूप में 0.50 रू० (पचास पैसे) मात्र लिया जायेगा ।

(11) शौचालय के रख रखाव की अवधि में पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो इसका अनुपालन संस्था द्वारा किया जायेगा ।

(12) शौचालय के रख रखाव की अवधि में शौचालय की मरम्मति आदि संस्था अपनी राशि से करायेगी ।

(13) उपरोक्त शर्तों पर शौचालय ईकाईयों का निर्माण एवं उसका रख रखाव कार्य पत्र के निर्गत की तिथि से एक वर्ष तक लागू रहेगा बशर्ते कि उपर्युक्त शर्तों का पालन किया गया हो अन्यथा पर्षद को अधिकार होगा कि रख रखाव की अवधि किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है ।

विश्वास भाजन

ह०/- 16/...

प्रबंध निदेशक

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद

पण्डरा, राँची।

ज्ञापांक :- 616 / राँची, दिनांक :- 17/4 /2003.

प्रतिलिपि, सभी अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष / विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक :- 616 / राँची, दिनांक :- 17/4 /2003.

प्रतिलिपि, निदेशक निगरानी/ नियंत्रक, पर्षद मुख्यालय/ कार्यपालक अभियंता, राँची/ हजारीबाग (मु०) धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक 16/4/2003

ज्ञापांक :- 616 / राँची, दिनांक :- 17/4 /2003

प्रतिलिपि, इनर्जी इन्टरनेशनल जन सुविधा संस्थान, कचहरी रोड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

प्रबंध निदेशक 16/4/2003